

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 22, 1934)

क्रमांक-14513/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----------------------------|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा. |
| | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 5 का संशोधन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उप-धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी.”</p> |
| धारा 8 का संशोधन. | 3. | <p>मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (10) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी.”</p> |
| धारा 11 का संशोधन. | 4. | <p>मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (10) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—</p> <p>“परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करते हुए, पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी.”</p> |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) में आंशिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 8 की उप-धारा (10) एवं धारा 11 की उप-धारा (10) के अनुसार, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष की है। विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार द्वारा पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। परन्तु, वर्तमान में, 9 नये जिलों तथा एक नये मुख्य अभियंता कार्यालय, हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। नये मुख्य अभियंता कार्यालय के कार्यक्षेत्र का सीमांकन किया जाना है। इसके अतिरिक्त नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। जल उपभोक्ता संस्थाओं की पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि अपर्याप्त प्रतीत हो रही है तथा पदावधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है जिसमें तीन वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) की धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 8 की उप-धारा (10) एवं धारा 11 की उप-धारा (10) में संशोधन आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर
दिनांक 8 दिसम्बर, 2012

रामविचार नेताम
जल संसाधन मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम-2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण—

* * * * *

धारा (5)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन :

उप-धारा

(3) प्रबंध समिति के सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के प्रावधान के अधीन उन्हें वापस न बुलाया गया हो या हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो तो, प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी।

* * * * *

धारा (8)

वितरिका समिति की प्रबंध समिति का गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन :

उप-धारा

(10) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, यदि पूर्व में अधिनियम के धारा 14 के अधीन वापस न बुलाया गया हो, तो वे प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे:

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी।

* * * * *

धारा (11)

परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का
गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन :

उप-धारा

(10) प्रबंध समिति के सभापति और सदस्यों की पदावधि, प्रथम सम्मेलन
की तारीख से पांच वर्ष की होगी :

परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, एक वर्ष के लिए की
पदावधि बढ़ा सकेगी.

* * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.